उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संख्या– G34539/OC mms portal/2018-20 दिनांक 04-01-2021

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना हेतु उद्योगपरक वातावरण प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम प्रक्रियों को अपनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "Best practices to improve the Business environment across states in India" विषय पर सभी राज्यों से उद्यम लगाने हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से अपेक्षा की गयी है कि विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को प्रदेश में भी लागू किया जाये।

पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के कार्यालय ज्ञात संख्या– जी 20157/विविध–73/2015 दिनांक 28.04.2015 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित होने वाले एवं कार्यरत उद्योगों के लिए समस्त स्वीकृतियां/अनुमतियां/प्रमाण पत्रों हेतु आवेदन केवल निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से आनलाईन ही प्राप्त किया जाएगा एवं किसी भी परिस्थिति में मैन्युल आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा।

जैसा कि विदित है कि प्रदेश के सिंगल विण्डों पोर्टल **"निवेश मित्र"** में प्रस्तावित अथवा कार्यरत विभिन्न परियोजनाओं एवं उद्योगों को राज्य बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ जल एवं वायु सहमति तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावली क्रमशः परिसंकटमय व अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन व सीमापार संचालन) नियम, 2016, ई–वेस्ट (मैनेजमेण्ट) रूल्स 2016, बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेण्ट) रूल्स 2016 एवं अवशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत अधिकार अथवा पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं आनलाईन उक्त का निस्तारण करने की सुविधा एकीकृत की जा चुकी है।

एतद् द्वारा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में उपरोक्त अंकित अधिनियम एवं नियमावली से संबंधित आवदेन पत्रों को ऑफलाईन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं न ही किसी परिस्थिति में आवेदकों को आवेदन पत्र एवं संलग्नक की हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करने हेतु विवश किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं उक्त का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल से प्रभावी होगा।

सदस्य सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सहायक, अध्यक्ष उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. बोर्ड मुख्यालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्काल कार्यालय ज्ञाप को बोर्ड के अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
4. गार्ड फाइल।

सदस्य सचिव